माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक–डी.आर./अम्बिकापुर/2121 दिनांकः 15.10.2006

सुरक्षागार्ड हेतु तृतीय ई–निविदा प्रपत्र वर्ष 2022–23

सुरक्षागार्ड हेतु तृतीय ई–निविदा की नियम एवं शर्ते

कारखाना स्थल : ग्राम–केरता, तहसील – प्रतापपुर, जिला – सूरजपुर (छ0ग0)

सुरक्षा ऐजेन्सी का नाम व पता ....

....

....

दिनांक – निविदा फार्म जारीकर्ता के हस्ताक्षर

Managing Director

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित्, अम्बिकापुर ग्राम–केरता
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

सुरक्षागार्ड हेतु तृतीय ई–निविदा वर्ष 2022–23

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 1442(04) दिनांक 29/10/2022

ऑन लाईन ई–निविदा क्रमांक 113323

पेराई सत्र 2022–23 के लिए सुरक्षागार्ड हेतु तृतीय ई–निविदा आंमत्रित की जाती है।

1	सुरक्षा ऐजेन्सी/फर्म का नाम	श्री/मेसर्स ....
2	फर्म का पता	:.. ....
3	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये **1311.00 (एक हजार तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र)** वापसी योग्य नहीं है को **www.eproc.cgstate.gov.in** में जाकर ऑनलाईन पेमेन्ट करना होगा। जमा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4	निविदा प्रपत्र क्रय/प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 31/10/2022 **को शाम** 05.00 **बजे से दिनांक** 04/11/2022 **को समय दोपहर** 12.00 **बजे तक www.eproc.cgstate.gov.in** से निर्धारित शुल्क जमा कर डाऊनलोड़ कर भरकर अपलोड़ सकते हैं।
5	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**दिनांक** 04/11/2022 **को समय दोपहर** 04.00 **बजे के बाद।**
6	अमानत/ई.एम.डी. राशि	निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में ई0एम0डी0 हेतु **राशि रूपये 60,000.00 रूपये (शब्दों में :– साठ हजार रूपये मात्र)** कारखाने के खाते में **(खाता नं 50100497159999 HDFC Bank Ambikapur, IFSC Code -: HDFC0009495)** में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित–अम्बिकापुर के नाम से जमा करनी होगी। **RTGS/NEFT/TRANSFER** के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम एवं द्वितीयं ई–निविदा हेतु जमा ई.एम.डी. राशि को मान्य किया जावेगा। ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त की जाएगी।

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

प्रबंध संचालक
माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम–केरता

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम–केरता

सुरक्षागार्ड हेतु तृतीय ई–निविदा वर्ष 2022–23

1. निविदाकार एजेन्सी/फर्म का नाम :..

2. निविदाकर्ता का नाम :..

3. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम :..

4. निविदाकार फर्म/एजेन्सी/का पता :..
:..
:..

5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर :..

6. ई–मेल आई.डी. :..

7. जी.एस.टी. नम्बर :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

8. पैनकार्ड नम्बर :..
(छायाप्रति संलग्न करें)

9. भविष्य निधि खाता क्रमांक :..
(प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें)

10. वर्षिक टर्न ओव्हर (राशि रूपये में) :..

11. वर्तमान में संस्था द्वारा कितने संस्थाओं में सुरक्षा सेवाएं दी जा रही है की संख्या :..

12. वर्तमान में निविदाकर्ता के पास उपलब्ध सुरक्षाकर्मियों की संख्या :..

13. निविदाकार का बैंक का नाम :..

14. निविदाकार का खाता क्रमांक :..

15. ई.एम.डी. जमा राशि :..........................शब्दों में..........................

16. आर.टी.जी.एस. नम्बर :..

17. कारखाने के किस खाते में खाता :..

निविदाकार एज़ेन्सी/फर्म का नाम एवं हस्ताक्षर

माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता मया. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

—:: ई—निविदा की नियम एवं शर्ते ::—

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक **1442(04)** दिनांक **29/10/2022**

1. ई.एम.डी. के लिए राशि रू. **60,000/— (अक्षरीः साठ हजार रू. मात्र)** को कारखाने के उल्लेखित खातों में जमा करना अनिवार्य होगा, ई0एम0डी0 राशि जमा का पावती भाग—1 में संलग्न करना अनिवार्य होगा, कारखाने के खाते में ई0एम0डी0 राशि जमा नही होने पर आपकी निविदा अमान्य की जावेगी।

2. निविदाकर्ता को **भाग – 2** तकनीकी भाग में पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन की छायाप्रति, ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशंन की छायाप्रति, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का लेबर लाईसेन्स की छायाप्रति, 03 वर्ष का आयकर रिर्टन अथवा 03 वर्ष का बैलेंस सीट, फर्म का टर्नओवर प्रमाण पत्र, जीवित श्रमिक बीमा की छायाप्रति, एवं निविदा प्रपत्र का हस्ताक्षरित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अनिवार्य दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं पाये जाने पर तकनीकी भाग में अपात्र करते हुए सम्बंधित का व्यावसायिक भाग नहीं खोला जावेगा।

3. कारखाना के पेराई सीजन के दौरान 45 से 50 सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता होगी जिसके लिए भाग – 3 व्यावसायिक भाग में कमीशन दर प्रतिशत में दिया जाना होगा अन्य प्रकार की दरें मान्य नहीं होगी।

4. कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर श्रम कार्यालय जिला सूरजपुर से माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित् अम्बिकापुर ग्राम केरता में नियोजित करने हेतु श्रम लाईसेन्स प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।

5. श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान/पालन करना अनिवार्य होगा।

6. कारखाने द्वारा मांग के आधार पर सुरक्षाकर्मियों को नियोजित किया जाना होगा। जिसमें सुरक्षाकर्मियों की संख्या कारखाने की आवश्यकता के आधार पर घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

7. निविदाकार सुरक्षाकर्मियों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

8. निविदा प्रस्तुतकर्ता को स्वयं के व्यय से यूनिफार्म एवं अन्य सामग्रियाँ उपलब्ध करानी होगी। एवं निविदाकर्ता का ड्रेस कोड़ होना अनिवार्य होगा।

9. निविदा प्रस्तुतकर्ता की वार्षिक टर्नओव्हर राशि रू. 10.00 लाख होना अनिवार्य होगा।

10. उक्त निविदा फार्म **दिनांक 31/10/2022** को समय शाम **05.00 बजे** से **04/11/2022 को** दोपहर **12.00 बजे तक** जमा किया जा सकता है। एवं दिनांक **04/11/2022 को** समय दोपहर **04.00 बजे के** बाद निविदा खोला जावेगा।

11. जिस मद हेतु राशि कारखाने द्वारा प्रदाय की जावेगी का भुगतान प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

12. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये शर्ते निविदा में मान्य नहीं की जावेगी।

13. कारखाना प्रबंधन(कमेटी) किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त कर सकता है।

14. कारखाना प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।

15. फर्म अपने कार्यो का विवरण संबंधी विवरण पुस्तिका पृथक से संलग्न करेंगे।

16. कार्य असंतोष जनक पाये जाने पर कार्य बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

17. कार्य अवधि पेराई सत्र 2022–23 के लिए अनुबंध के आधार पर होगा। कार्य संतोष जनक पाये जाने पर अवधि प्रबंधन के द्वारा पेराई सत्र के पश्चात बढ़ाई जा सकती है।

18. किसी भी सुरक्षाकर्मी का अपराधिक रिकार्ड ना हो इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।

19. निविदा प्रस्तुतकर्ता को प्रत्येक सुरक्षाकर्मियों का बायोडाटा संधारित करना होगा, जिसकी एक प्रति कारखाने के टाईम आफिस में जमा करना अनिवार्य होगा।

20. निविदा प्रस्तुतकर्ता को सुरक्षाकर्मियों को देयक माह की सात तारीख तक भुगतान देना अनिवार्य होगा।

21. सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार का हड़ताल या किसी अन्य कारणों से कार्य पर अनुपस्थिति की स्थिति में टेन्डर कर्ता को तत्काल संस्था के मांग के अनुसार सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।

22. कारखाने में चोरी या अन्य क्षति सुरक्षा कर्मी के लापरवाही/अनदेखी के कारण होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेंसी द्वारा की जायेगी।

23. कारखाने की सुरक्षा सबंधित सभी जिम्मेदारी सुरक्षा एंजेसी सिक्यूरिटी सर्विसेस की होगी।

24. कारखाना अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।

25. सुरक्षा गार्डो की ड्यूटी 8 घंटे की होगी।

26. सुरक्षाकर्मी का नियमानुसार बीमा कराने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए कारखाना प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।

27. रात्रिकालीन सुरक्षा सुपरवाईजर पुरे कारखानें का रिपोर्ट (सूचना) कारखाना प्रबंधन को अनिवार्य रूप से देगें।

28. सुपरवाईजर/सुरक्षा गार्ड हमेशा वर्दी में रहेगा।

29. श्रम नियमों का पालन करने की जवाबदारी सुरक्षा एंजेसी सिक्यूरिटी सर्विसेस की होगी।

30. किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष/प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

31. सुपरवाईजर 12 वी पास एवं अनुभवी होना चाहिये जिससे समस्त सुरक्षा विभाग के रजिस्टर एवं फाईल को मेन्टेन कर सकें।

32. किसी भी प्रकार की वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय (सहकारिता विभाग) में सूनवाई/वाद दायर किया जा सकेगा।

33. सुपरवाईजर/सुरक्षागार्ड द्वारा कारखाना स्थल पर किसी भी प्रकार के अपने कार्य में अनियमितता/दुर्व्यवहार करते पाये जाने की स्थिति में कारखाना की सेवा से पृथक करने हेतु सम्बधित ऐजेंसी को निर्देशित किया जावेगा।

नोटः— कारखाने के शर्तों के अनुसार संस्था के साथ अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम पता एवं सील

मॉं महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सूरजपुर

सत्यनिष्ठा वचन पत्र

मैं...फर्म ....प्रतिनिधि का नाम..पिता का नाम .... पता...का निवासी हुॅ मैं शपथ पुर्वक कथन करता हूँ कि

1. मेरे द्वारा कोड किया गया दर न्यूनतम है एवं इससे कम दर पर कार्य नही करूंगा।
2. मेरे द्वारा कोड कि गई सामाग्री/कार्य का व्यापार किया जाता है जिसकी समस्त जानकारी मुझे है।
3. मुझे पूर्व कार्यादेशों की सामाग्री/कार्य सही समय में एवं गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण की गई है।
4. मैनें निविदा में भाग लेने या कार्य आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी से कोई सम्पर्क नही किया है और नही कोई अनुचित व्यावहार किया है जिससे अनुचित लाभ प्राप्त हो।
5. मैंने अपना दर प्रस्तुत किया है ई.एम.डी. राशि रूपये कारखाना के खाता क्रमांक ....में राशि रूपये................................... दिनांक...........................को.संस्था के पक्ष में जमा किया है यदि मेरे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा कार्य में विलम्ब किया जाता है या सही गुणवत्ता का नही पाया जाता है तो समस्त ई0एम0डी0 राशि संस्था के पक्ष में जप्त करने हेतु अधिकृत करता हूॅ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

मॉं महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) केरता